(37)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 295-एक/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 21-9-2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण क्रमांक 278/अपील/2013-14

रिजवान आत्मज बुद्धु खॉ (मृत द्वारा वारिसान)
1-श्रीमती आरिफा बी पत्नी स्व0रिजवान खॉ
2-अनवर खॉ पुत्र स्व0रिजवान खॉ
3-सरवर खॉ पुत्र स्व0रिजवान खॉ
निवासी ग्राम कुरवाई तहसील कुरवाई
जिला विदिशा .....आवेदकपक्ष

विरूद्ध

मुन्नी बी पत्नी मजीद खॉ
निवासी शाहजानाबाद भोपाल .....अनावेदक

श्री रमेश सक्सैना, अभिभाषक, आवेदकपक्ष
श्री प्रेमसिंह सजवाण, अभिभाषक, अनावेदकपक्ष

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/5/2019 को पारित)

आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-9-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम कुरवाई जिला विदिशा स्थित भूमि खसरा नम्बर 1523/2 रकबा 2.090 हेक्टेयर राजस्व अभिलेख में अनावेदक के नाम पर दर्ज है। अनावेदक की भूमि से लगी हुई आवेदकपक्ष की भूमि है । आवेदकपक्ष ने अधीनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत उसके स्वत्व की भूमि पर बटान डाले जाने का अनुरोध

किया गया । आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक को सूचना दिये बगैर उसकी भूमि की वास्तविक सीमाओं में फेरबदल कर आवेदक की भूमि पर बटान करने के आदेश दिनांक 2-4-2006 को दिये गये । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23-8-2013 को आदेश पारित कर धारा 5 के आवेदन पर निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 21-9-2015 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किये बिना आदेश पारित करने में भूल की गई है इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अनावेदक ने तहसील न्यायालय के समक्ष बटान डाले जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसके अनुसार ही बटान के आदेश तहसील न्यायालय द्वारा दिये गये है, इसलिये तहसील न्यायालय के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विलम्ब परिमार्जन हेतु भारतीय समयावधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया गया था, परन्तु अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा आवेदन पर विचार किये बिना ही आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है इसलिये अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है ।

(2) विधि का यह मान्य सिद्धांत है कि यदि किसी हितधारी पक्षकार के विरूद्ध आदेश पारित किया जाता है तो उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय ने

अनावेदक की भूमि की सीमाओं में फेरबदल करने से पूर्व अनावेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये था, जो कि नहीं दिया गया है इसलिये अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में न्यायोचित कार्यवाही की गई है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करने के पूर्व इस बिन्दु पर भी विचार नहीं किया कि बंटान के संबंध में प्रकिया निर्धारित की गई है तथा बंटान प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है, परन्तु प्रकरण बंटान प्रक्रिया का पालन किये जाने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । अत: अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में वैधानिक कार्यवाही की गई है ।

उनके द्वारा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक ने अपनी भूमि का कभी भी बंटान नहीं कराया, जबकि अपर आयुक्त ने अपना आदेश इसी आधार पर पारित किया है कि अनावेदक की बंटान पहले से हो गई थी, जबकि अभिलेखके अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक ने स्वयं का तैयार किया नक्शा लगाया था जिसे अपर आयुक्त ने बंटान मान लिया। अनावेदक ने 2006 के आदेश को 2013 में चुनौती दी गई, जबकि दोनों पक्ष एक ही परिवार के सदस्य हैं । इतने वर्षों तक दोनों ने स्थल पर खेती भी की होगी । ऐसी स्थिति में किसका कौन सा हिस्सा है, इसकी जानकारी न होना स्वीकार योग्य नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी ने सही ही अनावेदक की अपील समय बाह्य मानी थी । गुणदोष पर भी प्रथमदृष्टया ही तहसील का आदेश बंटान के नियमों के अनुरूप है उन्होंने मुख्य मार्ग पर दोनोंपक्षों को आधी-आधी पहुँच दी है । अत: गुणदोष पर भी तहसील न्यायालय के बंटान आदेश में कोई त्रुटि दिखलाई नहीं पड़ती है । फलत: निगरानी स्वीकार की जाती है । अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-9-2015 निरस्त किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर